अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RTA अपील 1/2021

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/341 श्री Ajit singh. श्री रामपाल वगैरह	

गोपी बनाम रामपाल वगैरह (2024 / 346)

12/12/24 (12/12/24) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने फर्द दस्तावेज प्रस्तुत कर मौखिक कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण जरिये नोटप्रेस किये जाने से किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2023 वउनवानी रामपाल बनाम खेताराम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 12.03.2024 को नोट प्रैस किये जाने से खारिज किया जा चुका है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश 28.04.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है चूंकि अव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये नोटप्रैस खारिज किया जा चुका है अतः प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुक़ी है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner